न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी श्री रजत यादव (आई.ए.एस.)
राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 44/2008

1. श्रीमती मांगी देवी पत्नि स्व० श्री भंवरलाल उम्र करीबन 55 वर्ष
2. नन्दाराम पुत्र स्व० श्री भंवरलाल उम्र करीबन 35 वर्ष
3. देवाराम पुत्र स्व० श्री काना (फौत)
3/1 सायरी देवी पत्नि स्व० देवाराम उम्र करीबन 45 वर्ष
3/2 रामस्वरूप पुत्र स्व० देवाराम उम्र करीबन 25 वर्ष
3/3 राजू पुत्र स्व० देवाराम उम्र करीबन 22 वर्ष
3/4 नन्दू पुत्र स्व० देवाराम उम्र करीबन 28 वर्ष
3/5 सन्ना देवी पुत्री स्व० देवाराम उम्र करीबन 23 वर्ष
3/6 पूजा देवी पुत्री स्व० देवाराम उम्र करीबन 25 वर्ष
4. छीतर पुत्र स्व० काना (फौत)
4/1 श्रीमती गीता देवी पत्नी स्व० छीतर
4/2 मुकेश पुत्र स्व० श्री छीतर
4/3 सुरेश पुत्र स्व० श्री छीतर नाबालिग जरिये माता श्रीमती गीता देवी पत्नी स्व० छीतर
4/4 रतन पुत्र स्व० श्री छीतर नाबालिग जरिये माता श्रीमती गीता देवी पत्नी स्व० छीतर
4/5 पूजा पुत्री स्व० श्री छीतर नाबालिग जरिये माता श्रीमती गीता देवी पत्नी स्व० छीतर

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती सीता देवी पत्नी स्व० काना
2. दिनेश पुत्र स्व० काना
3. नरेन्द्र पुत्र स्व० काना
4. हेमराज पुत्र स्व० काना
5. विनोद देवी पुत्री स्व० काना
6. ममता पुत्री स्व० काना

सर्व जाति नाई सर्व निवासीगण ग्राम कुचील तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज० ।

7. शान्ति देवी पत्नी स्व० माना
8. ओमप्रकाश पुत्र स्व० माना
9. चन्द्रप्रकाश पुत्र स्व० माना
10. चन्दना देवी पुत्री स्व० माना
11. रेणु देवी पुत्री स्व० माना

क्रम सं० 9, 10, 11 नाबालिग जरिये संरक्षिका प्राकृतिक माता शांति देवी पत्नि स्व० माना सर्व जाति नाई सर्व निवासीगण ग्राम कुचील तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर हाल निवासी राम मंदिर की तरफ, रेल्वे लाईन के पास, चुना भट्टा के पास, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राज०

12. पानी बेवा उगमा जाति गुर्जर निवासी ग्राम आखरी तहसील किशनगढ
13. उपपंजीयक किशनगढ।
14. तहसीलदार तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित वकील प्रार्थी श्री रामदेव गुर्जर
वकील अप्रार्थी श्री परमानन्द शर्मा

दिनांक 10.09.2025

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रामदेव गुर्जर ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का.अधि. के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय में एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया है। जिसमें वादीगण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है परन्तु वाद के निस्तारण में समय लगना स्वभाविक है इस कारण वाद के साथ यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 के दादा, श्वसुर, के कब्जे काश्त खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम चीताखेड़ा पटवार हल्का खातौली तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में अवस्थित है जिसके खसरा नम्बर एकीकरण व वर्तमान

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

Scanned with OKEN Scanner

311/2 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा (वर्तमान में 7 बीघा 01 बिस्वा) किस्म बारानी सैकिण्ड है। उपरोक्त वर्णित आराजी को प्रार्थीया संख्या 1 के श्वसुर, प्रार्थी संख्या 2 के दादा व प्रार्थी संख्या 3 व 4 के पिता स्व० श्री काना पुत्र नारायण जाति गुर्जर द्वारा अपने पुत्रगण अर्थात भँवरलाल (प्रार्थी संख्या 1 के पति व प्रार्थी संख्या 2 के पिता) व प्रार्थी संख्या 3 व 4 के नाम से दिनांक 12.12.1973 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 11 के दादा श्वसुर, अर्थात सुवा वल्द चन्द्रा उर्फ रामचन्द्र से खरीद कर मौके पर कब्जा संभला दिया गया था। जो आज दिन तक प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण के पूर्वज स्व० काना पुत्र नारायण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 के पूर्वज सुवा वल्द चन्द्रा उर्फ रामचन्द्र से क्रय करने के बाद बैचान रजिस्ट्री दिनांक 12.12.1973 का सहवन से व राजस्व अधिकारियो व कर्मचारियो की घौर लापरवाही से जरिये बैचान का नामान्तकरण नहीं खुला एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 के पिता, पति अर्थात सुवा वल्द चन्द्रा उर्फ रामचन्द्र के पुत्रगण काना व माना के नाम विरासत का नामान्तकरण खुल गया जो उक्त नामान्तकरण विधिक की दृष्टि से प्रारम्भतः शुन्य है। उक्त शून्य नामान्तकरण से काना व माना के फोत होने के पश्चात् उनका विरासत नामान्तकरण संख्या 620 दिनांक 6.12.2006 को अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 11 के नाम खुल गया एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 6 के पति व पिता काना फोत हो चुका है लेकिन विरासत का नामान्तकरण खुलना शेष है। नामा० संख्या 620 अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 11 के पक्ष में खुला विरासत का नामान्तकरण विधि व प्रतिपादित सिद्धान्तो के विरूद्ध होने से शुन्य नामान्तकरण है। उक्त नामान्तकरण का अर्थात राजस्व अधिकार अभिलेख में नाम प्रविष्टि का फायदा उठा कर यह जानकारी होते हुए भी कि उक्त वादग्रस्त आराजी का पूर्व में बैचान हो चुका है एवं मौके पर कब्जा प्रार्थीगण का होते हुए भी अप्रार्थीगण संख्या 7 लगायत 11 के अनुपातिक हिस्से में से 1/2 हिस्सा का बैचान अप्रार्थी संख्या 12 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के बैचान कर दिया जिसका बैचान के आधार पर राजस्व अभिलेख में नामान्तकरण संख्या 676 दिनांक 20.3.2008 को खुल गया उक्त नामान्तरण विधि व न्याय की मंशा के वैखिलाफ होने से शून्य नामान्तरण है। प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 के पति व पिता भंवरलाल व प्रार्थीगण संख्या 3 व 4 के नाम से इनके पिता काना पुत्र नारायण द्वारा खरीद की गयी है विक्रय पत्र निष्पादित के समय स्व० काना पुत्र नारायण के पुत्रगण स्व० भँवरलाल व प्रार्थी संख्या 3 व 4 नाबालिग थे वर्तमान में प्रार्थी संख्या 3 व 4 बालिग हो चुके है एवं मृतक भँवरलाल के विधिक वारिसान प्रार्थी संख्या 1 व 2 है। वादग्रस्त आराजी पर आज दिन तक प्रार्थीगण का बिना बाधा के कब्जा काश्त कर रहे है एवं प्रार्थीगण के पास में एक मात्र आय का मुख्य स्त्रोत वादग्रस्त आराजी ही है। प्रार्थीगण की स्वत्व, व क्रय शुदा आराजी से अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 12 के पक्ष में खुले नामान्तरण अवैध व शून्य है उक्त शून्य प्रविष्टि की आड़ में प्रार्थीगण की मुतनाज से अप्रार्थीगण बेदखल करने पर आमादा है इनको अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 12 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से नहीं रोका गया तो प्रार्थीगण की क्रय शुदा आराजी को खुर्द बुर्द व अन्यत्र बैचान कर देगें जिससे प्रार्थीगण अपने सम्पतिक अधिकारो से सदा–सदा के लिए वंचित हो जायेगें। जिससे प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति करना किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगी। प्रार्थीगण के पूर्वज द्वारा क्रय की गयी आराजी में काबिज काश्त है एवं क्रय की दिनांक 12.12.1973 से आज दिनांक तक उक्त आराजी में काबिज काश्त है एवं प्रार्थीगण द्वारा शारीरिक श्रम व हजारो रुपयो का आर्थिक खर्च करके वादग्रस्त आराजी को कृषि योग्य बनाया है। उक्त आराजी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार कानूनन् परिपक्त हो चुके है। एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 12 के खातेदारी अधिकार राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 63 (7) के तहत अवसान हो चुके है। इस कारण प्रार्थीगण के पक्ष में खातेदारी की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थीगण के पूर्वज द्वारा क्रय की गयी आराजी में काबिज काश्त है एवं क्रय की दिनांक 12.12.1973 से आज दिनांक तक उक्त आराजी में काबिज काश्त है एवं प्रार्थीगण द्वारा शारीरिक श्रम व हजारो रुपयो का आर्थिक खर्च करके वादग्रस्त आराजी को कृषि योग्य बनाया है। उक्त आराजी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार कानूनन् परिपक्त हो चुके है। एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 12 के खातेदारी अधिकार राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 63 (7) के तहत अवसान हो चुके है। इस कारण प्रार्थीगण के पक्ष में खातेदारी की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 के द्वारा अपने पक्ष में विरासत का नामान्तकरण खुलवाने का प्रार्थना पत्र पेश करे तो अप्रार्थी संख्या 14 के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादग्रस्त आराजी बाबत राजस्व रेकार्ड में किसी भी प्रकार का रद्दोबदल अर्थात परिवर्तन, परिवर्धन नहीं करे एवं रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं अप्रार्थी संख्या 12 के पक्ष में खुला अवैध व शून्य नामांन्तकरण की प्रविष्टि के आधार पर अन्यत्र हस्तान्तरण नहीं करने इस हेतु अप्रार्थी संख्या 13 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादग्रस्त आराजी बाबत किसी भी प्रकार का हस्तानान्तरण विलेख पंजीयन नहीं करे। वाद कारण दिनांक 20.3.2008 को उत्पन्न

उपखण्ड अधिकारी
कि॰गढ़

हुआ जब अप्रार्थी संख्या 12 के पक्ष में अवैध व शून्य नामान्तकरण खुलने के उपरान्त प्रार्थीगण के निवास स्थान पर आकर कहा कि इस वर्ष वादग्रस्त आराजी में फसल नहीं बोवोगें तब प्रार्थी संख्या 2 ने पटवारी हल्का से उपरोक्त खाते की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने से ज्ञात हुआ कि उपरोक्त वर्णित आराजी का आज दिन तक प्रार्थीगण के पक्ष में एवं ना ही प्रार्थीगण के पूर्वज के नाम नामान्तकरण नहीं खुला तब प्रार्थीगण ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर यह प्रार्थना पत्र श्रीमान् के समक्ष पेश करना अत्यन्त आवश्यक हुआ। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध है चूंकि खातेदार द्वारा प्रार्थीगण के पूर्वज के पक्ष में विक्रय विलेख दिनांक 12.12.1973 को निष्पादित किया तब से आज दिनांक तक वादग्रस्त आराजी पर शांति पूर्वक अबाध रूप से लगातार काबिज काश्त कर रहे है। सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध है चूंकि प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी पर शांति पूर्वक काश्त कर रहे है। अगर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी से बेदखल कर देगें जिससे प्रार्थीगण को ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से करना संभव नहीं होगी। प्रार्थना पत्र की पैरा संख्या 2 में उल्लेखित कृषि भूमि पर बहक प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 12 के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा तामूल वाद फैसला पारित की जावे कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में अप्रार्थीगण एवं अन्य दीगर व्यक्ति किसी प्रकार की बाधा, रूकावट, अड़चन, उत्पन्न नहीं करे, एवं प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करे, इस हेतु प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द – फरमावे । प्रार्थीगण की कृषि आराजी में किसी प्रकार का जबरन हस्तक्षेप नही करे, एवं शून्य नामान्तकरण के आधार पर राजस्व रिकोर्ड व मौके में किसी प्रकार का परिवर्तन अर्थात मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 31.03.2008 को दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 05.04.2008 तक भी अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 13 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई। प्रार्थना पत्र में दिनांक 07.06.2008 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। दिनांक 15.07.2010 तक भी अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई। दिनांक 24.01.2011 तक भी अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 03,04 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई। दिनांक 02.11.2011 को वकील प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 03 सी.पी.सी. का पेश किया जिसे दिनांक 10.12.2012 को स्वीकार किया गया। दिनांक 12.11.2018 को वकील प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 03 सी.पी.सी. का पेश किया जिसे दिनांक 09.09.2020 को स्वीकार किया गया। दिनांक 13.03.2024 तक भी अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 09, 10, 11 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई।

3. अप्रार्थी संख्या 07 व 08 की ओर से वकील श्री परमानन्द शर्मा द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 के कथन में यह स्वीकार है कि माननीय न्यायालय में वाद पेश कर रखा है। शेष कथन गलत व निराधार होने से अस्वीकार है। वादीगण को किसी तरह की सफलता मिलने की संभावना नहीं है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 के तथ्य गलत व निराधार होने से अस्वीकार है। जवाबकर्ता के पूर्वजो के द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि का प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पूर्वजो को उक्त वर्णित दिनांक को विक्रय नहीं की है। न ही किसी तरह का कब्जा संभलाया गया था। इस कारण प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थीगण का किसी तरह का कोई कब्जा प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि पर नहीं रहा है। न ही आज किसी तरह का कोई कब्जा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि पर है। अतः अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 4 के तथ्य प्रार्थीगण के वर्णितानुसार सही नहीं होने से अस्वीकार है। जवाबकर्तागण के पूर्वजो के द्वारा किसी तरह की कोई प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का प्रार्थीगण अथवा प्रार्थीगण के पूर्वज को बैचान नहीं किया है। प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथाकथित बैनामा फर्जी है। जिसको जवाबकर्तागण के पूर्वजो के द्वारा प्रार्थीगण अथवा प्रार्थीगण के पूर्वज के पक्ष में निष्पादित नहीं किया है। जवाबकर्तागण के पूर्वज के नाम उक्त भूमि का नामान्तरण खुला था। उक्त नामान्तरण विधिक नामान्तरण था जिसको कभी भी पार्थीगण के द्वारा चेलेन्ज नहीं किया है। बल्कि उक्त नामान्तरण को स्वीकार किया गया है। जवाबकर्तागण के पूर्वज के फोत होने के बाद जवाबकर्तागण के नाम उक्त कृषि भूमि का नामान्तरण विधिक रूप से खोला गया है। उक्त नामान्तरण को अविधिक व शून्य नामान्तरण बताने का किसी तरह का कोई विधिक अधिकार प्रार्थीगण को नहीं है। जवाबकर्तागण के द्वारा अपने हिस्से की भूमि को विधिक रूप से अप्रार्थी संख्या 12 को बैचान किया गया है। उक्त बैचान भी प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व किया गया था एवं उक्त भूमि का क्रेता के पक्ष में विधिक रूप से नामान्तरण खोला जा चुका है। इस प्रकार उक्त नामान्तरण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खोला गया है। अतः उक्त पैरा के तथ्य अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

Scanned with OKEN Scanner

पैरा संख्या 5 के तथ्य गलत व निराधार होने से अस्वीकार है। जवाबकर्तागण के पूर्वजों के द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि का कभी भी बेचान नहीं किया है। अतः अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 6 के तथ्य गलत व निराधार होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण का कभी किसी तरह का कोई कब्जा नहीं रहा है। न ही किसी तरह का कोई कब्जा है। अतः अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 7 के तथ्य गलत व निराधार होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण के पूर्वजों को व प्रार्थी संख्या 03 व 4 को जवाबकर्तागण के पूर्वजो के द्वारा कृषि भूमि का बेचान नहीं किया है। न ही प्रार्थी संख्या 3 व 4 के पिता श्री काना पुत्र नारायण को जवाबकर्ता के पूर्वजो द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित कषि भूमि का बेचान किया है न ही श्री काना से किसी प्रकार की राशि प्राप्त की है। जवावकर्तागण के द्वारा जिस भूमि का बैचान अपार्थी संख्या 12 को किया गया है। उक्त बैचान विधिक रूप से किया गया है। इस कारण उक्त को अपने हिस्से की भूमि का किसी भी तरीके से उसका उपयोग उपभोग करने का अधिकार है। उस पर प्रतिबन्ध लगाने का किसी तरह का कोई विधिक अधिकार प्रार्थीगण को नहीं है। अतः अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 8 के तथ्य गलत व निराधार होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण अथवा प्रार्थीगण के पूर्वजो को जवाबकर्तागण व उसके पूर्वजो के द्वारा दिनांक 12.12.73 को कृषि भूमि का बैचान नहीं किया गया है। तथाकथित विक्रय पत्र फर्जी है एवं फर्जी तरीके से तैयार किया गया दस्तावेज है। फर्जी दस्तावेज के आधार पर प्रार्थीगण को किसी तरह का कोई अधिकार उक्त भूमि में न तो कभी प्राप्त हुये है न ही कभी प्राप्त हो सकते है। इस कारण प्रार्थीगण किसी तरह की कोई डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 9 के तथ्य गलत व निराधार होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण उक्त पैरा में वर्णितानुसार किसी तरह की कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः उक्त पैरा के तथ्य अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 10 के तथ्य उक्त पैरा में वर्णितानुसार सही नहीं होने से अस्वीकार है। जवाबकर्तागण की कृषि भूमि के संबंध में प्रार्थीगण व उसके पूर्वजो को पहले से ही जानकारी प्राप्त थी। केवल मात्र प्रार्थना पत्र पेश करने की नियत से ही उक्त पैरा में उक्त तथ्यो का हवाला दिया गया है। जिसमें सच्चाई तनिक मात्र भी नहीं है अतः अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 11 व 12 के तथ्य गलत व निराधार होने से अस्वीकार है। जवाबकर्तागण व जवाबकर्तागण के पूर्वजों के द्वारा प्रार्थीगण के पूर्वजो के पक्ष में किसी तरह से का विक्रय पत्र निष्पादित नहीं किया है। इस कारण प्रार्थीगण का कब्जा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अतः अस्वीकार है। जवाबकर्तागण के द्वारा अपने हिस्से की भूमि को अप्रार्थी संख्या 12 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विक्रय कर दी है एवं उक्त के आधार पर नामान्तरण खोल दिया गया है उक्त का हवाला प्रार्थीगण के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में भी दे रखा है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर ही अप्रार्थी संख्या 12 को प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि के बाबत अधिकार प्राप्त हुये है। ऐसी स्थिति में जब तक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का सक्षम न्यायालय में निरस्त नहीं किया जाता तब तक प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विधिक रूप से चलने योग्य नहीं है। न ही माननीय न्यायालय को उक्त प्रार्थना पत्र के किसी तरह का कोई अधिकार उक्त प्रकरण को श्रवण करने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज होने योग्य है। जवाबकर्तागण के पूर्वज के द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि का विक्रय पत्र प्रार्थीगण अथवा प्रार्थीगण के पूर्वज के पक्ष में निष्पादित नही किया गया है। न ही जवावकर्तागण के पूर्वज के द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि का कब्ज़ा प्रार्थीगण अथवा प्रार्थीगण के पूर्वज को संभलाया गया था। जवाबकर्तागण के पूर्वज प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार थे। उनकी मृत्यु के बाद जवाबकर्तागण विधिक वारिसान होने के कारण उक्त भूमि पर काचिज होकर काश्त करते आ रहे है। प्रार्थीगण के पूर्वज का व प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र में वर्णित कषि भूमि पर किसी तरह का कोई कब्जा कभी नहीं रहा है। प्रार्थीगण के द्वारा फर्जी व कूटरचित दस्तावेजो के आधार पर प्रश्नगत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जिसमें सच्चाई तनिक मात्र भी नहीं है। तथाकथित रूप से प्रार्थना पत्र में वर्णित विक्रय पत्र फर्जी व कुटरचित दस्तावेज है जवाबकर्तागण के पूर्वज के द्वारा प्रार्थीगण के पूर्वज के पक्ष में किसी तरह का कोई विक्रय पत्र प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि के बाबत निष्पादित नहीं किया है। प्रार्थीगण को तथाकथित फर्जी व कुटरचित विक्रय पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश करने का किसी तरह का कोई विधिक अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र में तथाकथित रूप से जिसके पक्ष में विक्रय पत्र का निष्पादन करवाया जाना बताया गया है। उसकी ओर से प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नहीं है। न ही प्रार्थीगण द्वारा इसके विधिक वारिसानो के बाबत सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रार्थना पत्र पेश नहीं किये जाने के कारण खारिज होने योग्य है। प्रार्थीगण के द्वारा राज्य सरकार के अधिनस्थ विभाग को पक्षकारा अप्रार्थी संख्या 13 व 14 के रूप में संयोजित कर उसके विरूद्ध

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना चाही गई है। परन्तु राज्य सरकार को पक्षकार नहीं बनाया गया है। राज्य सरकार के अधिनस्थ विभाग के विरुद्ध प्रार्थना पत्र पेश करने पर राज्य सरकार के विरुद्ध भी प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक है परन्तु प्रार्थीगण के द्वारा राज्य सरकार को उक्त प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है न ही राज्य सरकार के विरूद्ध कोई प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जब कि राज्य सरकार को पक्षकार बनाया जाना विधिक प्रावधानो के तहत आवश्यक है। प्रार्थीगण के द्वारा राज्य सरकार को पक्षकार नहीं बनाने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र व वाद आवश्यक पक्षकार के असंयोजन के कारण खारिज होने योग्य है। अतः प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को खारिज फरमाते हुये जवाबकर्तागण को विशेष हर्जा खर्चा दिलवाया जावे।

4. दिनांक 10.09.2025 को वकील उभयपक्ष को सुना गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीयागण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र वास्ते वादग्रस्त भूमि में तथाकथित विक्रय पत्र के अनुसार अस्थाई निषेधाज्ञा पाने हेतु पेश किया है किन्तु प्रार्थीयागण द्वारा न्यायालय हाजा में कोई भी ऐसा दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे प्रथम दृष्टया वादअधीन भूमि में प्रार्थीयागण का हक हिस्सा अथवा कब्जा होना जाहिर हो। तथाकथित विक्रय पत्र के अनुसार प्रार्थीयागण के खातेदारी अधिकारों का विश्लेषण तो वाद में साक्ष्य एवं सुनवाई के द्वारा तय किया जायेगा किन्तु हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का.अधि. के अनुसार निर्णीत किया जाना है। हमारे द्वारा वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया, प्रार्थना पत्र का धारा 212 राज.का.अधि. के तीन बिन्दुओं के अनुसार विवेचन किया गया,

प्रथम दृष्टया प्रकरणः– वादअधीन भूमि में प्रार्थीयागण वर्तमान में खातेदार नहीं है, ना ही प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय हाजा में पेश किया गया है जिससे उनका वादअधीन भूमि में प्रथम दृष्टया हक जाहिर हो। रिकार्डेड खातेदारान् का वादअधीन भूमि में राजस्व रिकार्ड के अनुसार हक हिस्सा ताईद है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है।
सुविधा का संतुलनः– वादअधीन भूमि पर प्रार्थीयागण काबिज है ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रार्थीयागण द्वारा पेश नहीं किया गया है, जबकि अप्रार्थीगण जमाबन्दी के अनुसार वादअधीन भूमि पर काबिज है। अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में नहीं है।
अपूरणीय क्षतिः– प्रार्थीयागण द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है जिससे सिद्व हो कि अपूरणिय क्षति प्रार्थीयागण को कारित है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दुओं को प्रार्थीयागण सिद्ध करने में असफल रहें है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. का. अधि. को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। अन्य बिन्दु वाद विचारण के दौरान तनकीवार, साक्ष्य एवं बयानात् से तय किये जायेंगें।
आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 10.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

रजत यादव (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)